बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०–निग / सारा–04 (पथ) आरोप–67 / 2025 5463(S) / पटना, दिनांक 05/8/26

माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, शिवहर अंतर्गत घोषित योजनाओं की प्रगति के संबंध में तत्कालीन सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि शिवहर–मीनापुर–कांटी पथ परियोजना का दिनांक–16.07.2025 को L.O.A. (Letter of acceptance) निर्गत किया गया है। E.P.C. Mode के तहत् L.O.A. निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है, किन्तु निर्धारित अवधि के अंतर्गत एकरारनामा नहीं किया गया है। इस आरोप के लिए श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर को विभागीय अधिसूचना संख्या–175(एस)–सह–पठित ज्ञापांक–176(एस) दिनांक–08.01.2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

2. निलंबन के उपरांत श्री झा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध श्री झा के पत्रांक–01 दिनांक–27.01.2026 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा आलोच्य पथ के एकरारनामा करने एवं क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के लिए स्वयं को निर्दोष बताते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। अपील अभ्यावेदन पर अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का मंतव्य प्राप्त करते हुए मामले की समेकित रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि E.P.C के नियमों के अनुसार निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर एकरारनामा सम्पादित नहीं किया गया है, तथापि इसका मुख्य कारण संवेदक द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाना रहा है, जिसके फलस्वरूप एकरारनामा ससमय सम्पादित नहीं हो सका है। विलम्ब से एकरारनामा करने के लिए श्री झा का कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। उनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्तों के साथ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है। बशर्त्ते कि निलंबन अवधि के दौरान श्री झा को भुगतान किये जा चूके जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन करते हुए वेतनादि का भुगतान कर लिया जायेगा।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वि०वै०दा०नि०को०), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा— आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव, लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—1 / 2 / 6 / 13 / 14 एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री प्रदीप कुमार झा, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (द्वारा—अभियंता प्रमुख (मु०) का कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 / पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः— उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— निग / सारा—04 (पथ) आरोप—67 / 2025 5464(S) / पटना, दिनांक 05/8/26
प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

05.8.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

03.08.26

E/Nigrani Section-2011-2012/Devendra/Adhisuchna & Ka. Adesh-2014